

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 9646/2026
CNR: RJHC020569782026 | URN: CRLMB / 17883U / 2026

Bhagwan S/o Badri Lal, Aged About 46 Years, R/o Kushtala,
Police Station Rawanjana Dungar, District Sawai Madhopur
(Rajasthan) (At Present Confined In District Jail, Sawai
Madhopur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Rishiraj Singh Rathore, PP

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR
(Through Video Conferencing)
Order**

18/08/2026

- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-रवानजाना डूंगर, जिला-सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4) व 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66-डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।
- विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2026 के द्वारा अस्वीकार किया गया था।
- प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में यह आक्षेप थे कि उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्त भीम सिंह मीणा के साथ मिलकर मुख्यतः तीन पीड़ितजन सुशील कुमार, रोहन कुमार, अश्विन सिंह से साइबर फ्रॉड कारित करते हुए उसके खाते में 17,800/-रुपये प्राप्त किए गए और सह-अभियुक्त भीम सिंह मीणा के खाते में 59,86,940/-रुपये जमा हुए। विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण में सह-अभियुक्त भीम सिंह मीणा की जमानत याचिका समकक्ष

पीठ द्वारा आदेश दिनांक 10.06.2026 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण में जो अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण गवाहान सुशील कुमार, रोहन कुमार, अश्विन सिंह, फरहान शरीफ, शुभम, संतोष कुमार, दुर्गेश साहु, रियाजुल हसन, हर्षित चौधरी, दिवांशु रैना, गिरीश कुमार माली, लुकेश कुमार सेठी व ऋतिक गोस्वामी के धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन लेखबद्ध नहीं किए गए हैं। उक्त शिकायतकर्तागण द्वारा तथाकथित रूप से साइबर पोर्टल पर उनके साथ धोखाधड़ी करने के और उनके खाते से राशि हस्तांतरित होने की शिकायत की गई है, परंतु इसकी पुष्टि में संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त गवाहान के कोई बयान नहीं लिए गए हैं। प्रकरण में अन्य सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं और उनमें से एक साक्षी के कथन विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध हो चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में किसी अपराध में संबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.02.2026 से अभिरक्षा में है और प्रकरण के आगामी विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाए।

4. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।
5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रकरण में सहअभियुक्त भीम सिंह मीणा में जमानत याचिका इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 10.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।
7. प्रकरण में अभियोग पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा 1930 पोर्टल पर जिन पीड़ितगण द्वारा उनके साथ साइबर फ्रॉड कारित किए जाने के आक्षेप लगाए गए हैं, उनमें से किसी भी शिकायतकर्ता के कथन लेखबद्ध नहीं किए गए हैं। इस प्रक्रम पर प्रकरण के अन्य गुणावगुण पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में जो साइबर फ्रॉड कारित करने की राशि आई है वह लगभग 17,800/- रुपये है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध संबद्ध होने के अभिलेख पर कोई प्रत्यक्षतः साक्ष्य नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **भगवान पुत्र बद्री लाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J